मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 6–2/2013/3/एक, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषयः–एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6–2–78–3–एक, दिनांक 27.09.1978 क्रमांक एफ 6–3/1/3/99, दिनांक 02.08.99, क्रमांक सी 6–10/99/3/एक, दिनांक 30.09.99, क्रमांक सी 6–1/002/2/एक, दिनांक 06.11.02, क्रमांक 6–2–78–3–1, दिनांक 16.11.79 एवं क्रमांक 501–2883–1–(3)–78, दिनांक 15.12.79.

––0––

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6–2–78–3–एक, दिनांक 27.09.1978 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामले में समीक्षा के लिये विभिन्न स्तरों पर समिति गठित की गई है एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.11.1979 द्वारा निलंबन से बहाली के संबंध में विचार कर अपनी अनुशंसा करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं, जिन पर विचार कर समिति की अनुशंसा शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश समय–समय पर जारी किए गए हैं।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6–3/1/3/99, दिनांक 02.08.1999 द्वारा संभागायुक्तों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को निलंबित करने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

3/ उपरोक्त के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6–10/99/3/एक, दिनांक 30.09.1999 एवं परिपत्र क्रमांक सी 6–1/2002/2/एक,

दिनांक 06.11.2002 द्वारा आपराधिक/भ्रष्टाचार प्रकरणों में निलंबित शासकीय सेवकों को निलंबन से बहाली के संबंध में उल्लेख है कि "न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय होने में काफी समय लगता है। ऐसी स्थिति में न तो शासन के हित में है और न ही संबंधित शासकीय सेवक के हित में है। दीर्घ अवधि तक प्रकरण न्यायालय में लंबित रहने के बाद यदि न्यायालय द्वारा संबंधित शासकीय सेवक को दोषमुक्त किया जाता है, तो उसे निलंबन अवधि का संपूर्ण भुगतान करना पड़ता है।"

4/ ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य एजेंसियों द्वारा आपराधिक प्रकरणो में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने से निलंबित किया गया है उन पर उक्त निर्देश प्रभावशील होंगे अथवा नहीं, इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

5/ राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों जिन्हें विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण में निलंबित किया गया है, को निलंबन से बहाल करने के संबंध में प्रत्येक अधिकारी के प्रकरण में समीक्षा के लिये शासन स्तर की अंतर्विभागीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–3/2012/1/4, दिनांक 07.01.2012 द्वारा निम्नानुसार किया गया है :–

<u>शासन स्तर की समिति</u>

1.	अपर मुख्य सचिव, सा.प्र.वि. (विधिक तथा सतर्कता प्रकोष्ठ)	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि	सदस्य
4.	सचिव "कार्मिक"	सदस्य
5.	उप सचिव "कार्मिक"	सदस्य सचिव

6/ राज्य प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :–

1.	विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	विधि विभाग के उप सचिव/अपर सचिव	सदस्य
4.	विभाग के उप सचिव (स्थापना संबंधी)	सदस्य सचिव

7/ शासन द्वारा संभाग व जिला स्तर से प्रसारित निलंबन आदेश को निरंतर रखने हेतु समीक्षा के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

संभाग स्तर की समिति

1.	संबंधित संभागायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित जिले के कलेक्टर	सदस्य
3.	संबंधित विभाग का संभागीय अधिकारी	सदस्य
4.	उपायुक्त (राजस्व)	सदस्य सचिव

उक्त समिति उन शासकीय सेवकों के संबंध में परीक्षण करेगी, जिनकी नियुक्ति, पदस्थापना संभाग स्तर पर होती है।

जिला स्तर की समिति

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
3.	कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी	संयोजक

उक्त समिति उन शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर विचार करेगी, जिनकी यथास्थिति नियुक्ति, पदस्थापना जिला स्तर से होती है।

8/ उक्त समितियां निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों में उल्लेखित परिपत्रों के अध्यधीन पैरा–9 में उल्लेखित मापदण्डों के अंतर्गत परीक्षण कर निर्णय लेगी।

9/ (i) उपरोक्त समितियां निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों में विचार करेगी कि संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन पर बने रहना आवश्यक है या नहीं ? यदि निलंबन पर बने रहना आवश्यक नहीं पाया जाता तो संबंधित का निलंबन समाप्त करने के आधार पर बताते हुए अनुशंसा समिति द्वारा की जा सकेगी। यदि शासकीय सेवक का निलंबन आगे भी निरंतर रखा जाना आवश्यक है तो समिति द्वारा निलंबन निरंतर रखे जाने का आधार बताते हुए इस बाबत् अनुशंसा की जावेगी।

(ii) वर्तमान में एक वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों की समीक्षा किये जाने के निर्देश है। शासकीय सेवक अलग–अलग महीनों में निलंबित होने के कारण एक वर्ष की अवधि अलग–अलग महीनों में पूरी करते हैं, अतः प्रत्येक प्रकरण को एक वर्ष पूर्ण होने पर समीक्षा करना संभव नहीं हो पाता है, अतएव निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के निलंबन प्रकरणों की समीक्षा वर्ष में दो बार माह जनवरी एवं जुलाई में निश्चित रूप से की जाये। अतः सभी विभागों के सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त/शासन को समीक्षा योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रत्येक वर्ष के जून एवं दिसम्बर माह तक अवश्य भेंजे।

(iii) आपराधिक मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन से बहाली के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा।

10/ शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन सुनिश्चित कराएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक सी 6–2/2013/3/एक, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग